**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 768**

**दिनांक 16 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए**

**संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति**

1. **श्री पी. राजीव** :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या ऐसे राज्यों, जहाँ घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 लागू है, के प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ;

(ख) : राज्य-वार कितने जिलों में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति अभी की जानी है ; और

(ग) : जिला स्तर पर संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

(क) से (ग) : घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) के अंतर्गत राज्‍य सरकारों के लिए यथावश्‍यक संख्‍या में प्रत्‍येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्‍ति करना अपेक्षित है । सभी राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य प्रशासनों ने संरक्षणअधिकारियों की नियुक्‍ति कर ली है । राज्‍य-वार नियुक्‍त किए गए संरक्षण अधिकारियों की संख्‍या दर्शाने वाला विवरण अनुलग्‍नक में दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

**‘संरक्षण अधिकारी की नियुक्‍ति’ विषय पर श्री पी. राजीव द्वारा दिनांक 16.8.2012 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 768 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

**घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्‍ति की स्‍थिति (राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा प्रदत्‍त दिनांक 13.8.2012 की स्‍थिति के अनुसार)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **जिलों की संख्‍या** | **नियुक्‍त संरक्षण अधिकारियों की संख्‍या** |
|  | **आंध्र प्रदेश** | **23** | **104** |
|  | **अरुणाचल प्रदेश** | **16** | **15** |
|  | **असम** | **27** | **22** |
|  | **बिहार** | **38** | **21** |
|  | **छत्‍तीसगढ़** | **18** | **181** |
|  | **गोआ** | **02** | **13** |
|  | **गुजरात** | **26** | **44** |
|  | **हरियाणा** | **21** | **20** |
|  | **हिमाचल प्रदेश** | **12** | **359** |
|  | **जम्‍मू व कश्‍मीर** | **15** | **राज्‍य में अधिनियम लागू नहीं है ।** |
|  | **झारखंड** | **24** | **136** |
|  | **कर्नाटक** | **28** | **214** |
|  | **केरल** | **14** | **31** |
|  | **मध्‍य प्रदेश** | **50** | **368** |
|  | **महाराष्‍ट्र** | **35** | **3730** |
|  | **मणिपुर** | **09** | **8** |
|  | **मेघालय** | **07** | **7** |
|  | **मिजोरम** | **08** | **9** |
|  | **नागालैंड** | **11** | **30** |
|  | **ओडिशा** | **30** | **30** |
|  | **पंजाब** | **20** | **148** |
|  | **राजस्‍थान** | **33** | **574** |
|  | **सिक्‍किम** | **04** | **4** |
|  | **तमिलनाडु** | **31** | **33** |
|  | **त्रिपुरा** | **04** | **60** |
|  | **उत्‍तर प्रदेश** | **70** | **71** |
|  | **उत्‍तराखंड** | **17** | **13** |
|  | **पश्‍चिम बंगाल** | **18** | **20** |
|  | **संघ राज्‍य क्षेत्र** |  |  |
|  | **अण्‍डमान व निकोबार** | **03** | **6** |
|  | **चंडीगढ़** | **01** | **3** |
|  | **दादर और नगर हवेली** | **01** | **1** |
|  | **दमन व दीव** | **02** | **2** |
|  | **दिल्‍ली** | **10** | **17** |
|  | **लक्षद्वीप** | **01** | **9** |
|  | **पुद्दुचेरी** | **04** | **7** |
|  | कुल | 633 | 6310 |